न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 2/2019 गुण्डा नियंत्रण एक्ट

अनवानी :– ओमप्रकाश पुत्र श्री जस्साराम डूडी जाति जाट, उम्र 38 वर्ष निवासी कोठारी अस्पताल के पीछे, वैद्य मघाराम कॉलोनी हाल एफ.सी.आई गोदाम के पीछे, वार्ड नम्बर 1, बंगलानगर, पुलिस थाना नयाशहर, बीकानेर (राज0)

——— अपीलांट

—— बनाम ——

स्टेट जरिये सहायक लोक अभियोजक, बीकानेर ।

——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– आसुराम कुमावत — अभिभाषक अपीलान्ट
भगवानसिंह — सहायक लोक अभियोजक
राज्य पक्ष की ओर से ।

निर्णय **दिनांक 11.6.2019**

1. यह अपील राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 6(1) के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) बीकानेर के निर्णय दिनांक 14.3.19 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 15.4.19 जिसके द्वारा अपीलान्ट को राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(3) के अन्तर्गत गुण्डा घोषित किया जाकर जिला क्षेत्र बीकानेर से एक माह की अवधि के लिए जिला बदर करने के आदेश दिये गये, के विरुध्द इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर द्वारा लोक अभियोजक के माध्यम से दिनांक 3.7.17 को अति. जिला मजिस्ट्रेट(नगर) बीकानेर के समक्ष राज. गुण्डा नियत्रंण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत अपीलार्थी ओमप्रकाश पुत्र श्री जस्साराम डूडी जाति जाट निवासी कोठारी अस्पताल के पीछे, वैद्य मघाराम कॉलोनी पुलिस थाना नयाशहर, बीकानेर के विरूद्व इस्तगासा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि गैरसायल अपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है तथा जुआ सट्टा करने का आदी है, गैरसायल की गतिविधियों से क्षेत्र की जनता की सम्पत्ति एवं सुरक्षा को खतरा है । इसकी आपराधिक गतिविधियां निरन्तर बढ़ रही है यह शख्स अकेला व गिरोह बनाकर जुआ सट्टा की कार्यवाही को अन्जाम देता है । गैर सायल के खिलाफ लोग अपनी जान एवं सम्पत्ति के नुक्शान के भय के कारण गवाही देने को तैयार नहीं है । इसके विरुध्द जुआ अधिनियम के अन्तर्गत कुल 2 प्रकरण दर्ज हुए तथा दोनों प्रकरणों में न्यायालय द्वारा सजायाब फरमाया गया है । गैर सायल द्वारा सट्टे की खाईवाली करने से युवा पीढी पर बुरा प्रभाव पड़ता है तथा सामाजिक बुराई को समाज में फैला रहा है । गैरसायल गुण्डा की परिभाषक में आता

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

है । गैरसायल का शहर में रहना आम जनता के लिए हितबध्द नहीं होने के कारण जिला बदर होना जनता के हित में है ।

3. उपर्युक्त इस्तगासा प्रस्तुत होने पर न्यायालय अति.जिला मजिस्ट्रेट,(नगर) बीकानेर द्वारा दिनांक 30.10.17 को अपीलान्ट के निमित अनुसूची प्रपत्र–1 में आरोपों की सूचना देते हुए जवाब स्पष्टीकरण हेतु नोटिस जारी कर दिनांक 6.12.17 की तारीख पेशी दी गयी । नोटिस की सही तामील नहीं होने पर पुनः नोटिस दिनांक 7.12.17 को जारी कर 15.1.18 की पेशी निर्धारित की गयी । प्रकरण में अपीलान्ट के निर्धारित पेशी पर उपस्थित नहीं आने पर जमानती वारन्ट से तलब किया गया । अपीलान्ट द्वारा दिनांक 1.2.18 को स्वयं उपस्थित होने पर उन्हें धारा 3 का नोटिस पढकर सुनाया एवं समझाया । अपीलान्ट द्वारा जरिये अधिवक्ता दिनांक 19.7.18 को जवाब प्रस्तुत किया गया । अभियोजन पक्ष के गवाह पीडब्लू–1 बहादुरसिंह एवं पीडब्लू–2 सन्तकुमार के बयान लेखबध्द करने के पश्चात न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) बीकानेर ने दिनांक 14.3.2019 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट के विरुध्द गुण्डा नियंत्रण एक्ट की धारा 3 की उप धारा 1 के खण्ड (क)(ख) और (ग) में विरचित तीनों आरोप सिध्द मानते हुए धारा 3(3) के अन्तर्गत गुण्डा घोषित कर अपीलान्ट को जिला क्षेत्र बीकानेर से एक माह की अवधि के लिए निष्कासित करने तथा संशोधित आदेश दिनांक 15.4.2019 द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना सूरतगढ–सदर जिला श्रीगंगानगर में रिपोर्ट प्रस्तुत करने व मुख्यालय सूरतगढ में रहने के आदेश दिये । न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) बीकानेर के उक्त आदेश दिनांक 14.3.19 एवं संशोधित आदेश 15.4.19 के विरुध्द गुण्डा नियत्रंण अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।

4. उक्त अपील प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त किया गया । प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी ।

5. अभिभाषक अपीलान्ट का अपील में मुख्य रुप से कथन है कि अपीलार्थी के विरुध्द राजस्थान पब्लिक गैंबलिंग अधिनियम के तहत थानाधिकारी, पुलिस थाना, नयाशहर, बीकानेर द्वारा दो प्रकरण दर्ज किये गये हैं, जिनमें प्रथम प्रकरण मुकदमा नं0 76/14 दिनांक 27.2.14 व दूसरा प्रकरण मुकदमा सं0 370/15 दिनांक 24.9.15 होना बताया, जिनमें 1 वर्ष से अधिक का अन्तराल है । उक्त दोनों मुकदमों में अपीलार्थी पर मात्र 100/– रुपये जुर्माना किया गया है जो अपीलार्थी ने माननीय न्यायालय की समझाईस एवं लोक अदालत की प्रेरणा से निस्तारण करवाया है । रेस्पोन्डेंट द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा में अपीलान्ट को जुआ सट्टा का आदि बताया तथा अकेला व गिरोह बनाकर जुआ सट्टा खेलना तथा लोगों को डराना धमकाना बताया, जो मनगढन्त है। प्रार्थी अपीलान्ट ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, जिसके काराण किसी व्यक्ति के शरीर या सम्पत्ति को खतरा या नुकसान हो रहा हो अपीलान्ट आदतन अपराधी नहीं है, बल्कि शान्तिप्रिय मजदूरी पेशा व्यक्ति है तथा मानसिक रुप से

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

बीमार है, अपने परिवार का पालन करता है । अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(नगर) बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.3.19 एवं संशोधित आदेश दिनांक 15.4.19 निरस्त करने हेतु निवेदन किया ।

6. प्रकरण में राज्य पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट के विरुध्द धारा 13 आरपीजीओ के तहत कुल 2 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें बाद अनुसन्धान न्यायालय में चालान पेश किया गया तथा सक्षम न्यायालय द्वारा दोनों प्रकरणों में अपीलान्ट को सजायाब फरमाया गया है । प्रकरण में धारा 3(1) की उप धारा ''क'' ''ख'' ''ग'' में विनिर्दिष्ट स्थितियों को सिध्द करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाह पीडब्लू–1 व पीडब्लू–2 के गवाह प्रस्तुत किये गये हैं। गैर सायल गुण्डा की परिभाषा में आता है । अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे ।

7. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा दिनांक 3.7.17 के अनुसार अपीलार्थी के विरुध्द जुआ अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित 2 मुकदमे दर्ज होकर न्यायालय द्वारा सजायाब किया गया है :–

क.सं.	मु.नं. व दिनांक	धारा	न्यायालय निर्णय दिनांक	नतीजा
1	76/27.2.2014	13 RPGO	25.3.14	सजा जुर्माना
2	370/24.9.15	13 RPGO	9.10.15	सजा जुर्माना

8. राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासन हेतु निम्नलिखित तीन शर्तो का होना आवश्यक है :–

क– वह व्यक्ति गुण्डा हो ।

ख– (i) उसकी गतिविधियों से जिले/किसी भाग में व्यक्तियों की सम्पत्ति को खतरा उत्पन्न कराने या नुकसान कराने वाली है ।

(ii) वह व्यक्ति धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) से (vi) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध या कृत्य के करने या उसके लिए दुष्प्रेरित करने में लगा हुआ है ।

ग– साक्षीगण अपने शरीर या सम्पत्ति की सुरक्षा के सम्बन्ध में आशंकित होने के कारण उसके विरुध्द साक्ष्य देने के लिए आगे आने के इच्छुक नहीं है ।

9. राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2–ख(v) अनुसार राजस्थान लोक धूत अध्यादेश 1949 के अधीन कम से कम दो बार दोष सिध्द होने पर वह गुण्डा की श्रेणी में आता है । प्रकरण में अपीलार्थी के विरुध्द धारा 13 आरपीजीओ के अन्तर्गत कुल 2 मुकदमे दर्ज हुए एवम् दोनों प्रकरणों में न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सजायाब किया गया है । इस प्रकार अपीलार्थी धारा 2 ख (v) अनुसार गुण्डा की परिभाषा में आता है । प्रकरण में प्रस्तुत इस्तगासा के अनुसार गैर सायल आवारा किस्म का व्यक्ति है तथा जुआ सट्टे का आदि

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

है एवम् इसकी ताईद में अभियोजन पक्ष के गवाह पीडब्लू–1 एवं पीडब्लू–2 अनुसार अपीलान्ट की आम शोहरत अच्छी नहीं है, जुआ सट्टे का आदि है तथा अकेला व गिरोह बनाकर जुआ सट्टे की कार्यवाही को अन्जाम देता है, मोहल्ले के आम जन में भय व्याप्त है तथा भय के कारण लोग इसके विरुध्द पुलिस में शिकायत करने या गवाही देने से डरते हैं। प्रकरण में प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा अपने बचाव पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई गवाह पेश नहीं किया है ।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलान्ट गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 ख की उप धारा (v) के अन्तर्गत गुण्डे की परिभाषा में आता है । अपीलार्थी की आम शोहरत अच्छी नहीं है, जिसके कारण लोगों में भय है एवम् भय के कारण आमजन अपीलान्ट के विरुध्द शिकायत करने से डरते हैं । अपीलान्ट के भय से आमजन की सम्पत्ति को खतरा एवं संत्रास है । इस प्रकार अपीलान्ट के विरुध्द गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उप धारा (1) के खण्ड ''क'' ''ख'' ''ग'' में विनिर्दिष्ट तीनें शर्ते पूरी होने से न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट (नगर) बीकानेर द्वारा अपीलान्ट को एक माह की अवधि के लिए जिला क्षेत्र बीकानेर से निष्कासित करते हुए संशोधित आदेश दिनांक 15.4.19 अनुसार निष्कासित अवधि में जिला श्रीगंगानगर में थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर, सूरतगढ को रिपोर्ट दिये जाने के आदेश दिये गये हैं, उसमें हम किसी भी प्रकार से परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अतः जिला बदर के आदेश को यथावत रखते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट (नगर) बीकानेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.3.19 एवं संशोधित आदेश 15.4.19 यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

11. तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मय निर्णय प्रति सहित लौटाया जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय आज दिनांक 11.6.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर